कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।

पत्रांकः 2479 /14-1 दिनांक, बुलन्दशहर, 31-12-2014।

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

विषयः— ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के लिये जिला बुलन्दशहर में आने वाली वन विभाग की आरक्षित भूमि हेतु प्रस्ताव।

सन्दर्भः— आपका पत्रांक C.P.M./MTC/E.N./ फारेस्ट लैण्ड दिनांक 27.11.2014 ।

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भूमि हस्तान्तरण के नये प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में दिनांक 15.08.2014 से नवीन ऑन लाईन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। अतः आप (wwwforest clearance nic.in) पर ऑन लाइन हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें। आप द्वारा भेजे गये प्रस्ताव मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

पत्रांक सी०पी०एम०/एम०टी०सी०/ई०एन०/फोरेस्ट लैंड दिनांक 27.11.2014

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।

विषय: ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के लिये जिला बुलन्दशहर में आने वाली वन विभाग की आरक्षित भूमि हेतु प्रस्ताव।

"डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपॉरेशन ऑफ इंडिया" रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे ईस्टर्न एवं वेस्टर्न फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है।

ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण के लिये जिला बुलन्दशहर के गांव–इस्माईलपुर बुढेना की 0.7957 हे0 आरक्षित भूमि की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव (6 प्रतियों में) आपके कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

अनुरोध है कि प्रकरण की प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यवाही करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

27/11/2014

(ए0 के0 गनुवाल)
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, मेरठ

Chief Project Manager
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
DFCCIL/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
Meerut/मेरठ

सूची

क्र०सं०	भाग का वर्णन	पेज सं०	संलग्नक
1	परियोजना का औचित्य		1
2	भाग–I,II,III,IV,V		
3	परियोजना की वित्तीय स्वीकृति का प्रमाण पत्र		2
4	लाभ– लागत विश्लेषण		3
5	लैण्ड शैड्यूल/वन भूमि का विवरण		4(A), 4(B) & 4(c)
6	बाधक वृक्षों की सूची		5(A)
7	बाधक वृक्षों की मूल्काकंल की सूची		5(B)
8	मानक शर्ते		6
9	जिलाधिकारी का प्रमाण– पत्र		7
10	एन0पी0वी0 जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र		8
11	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र		9
12	लीज अवधि प्रमाण पत्र		10
13	कार्य प्रारम्भ न कराये जाने का प्रमाण पत्र		11
14	क्षतिपूरक वनीकरण हेत चयनित भूमि का प्राक्कलन तथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र		12
15	क्षतिपूरक वनीकरण कराये जाने वाले स्थल का नक्शा		13
16	राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण्य आदि के भाग/हिस्सा के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र		14
17	क्षति–पूर्ति वनीकरण हेतु भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र		15
18	गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु वचनवद्धता प्रमाण–पत्र		16
19	आरक्षित वन भूमि के गटज की प्रति		17
20	गांव का नक्शा (लैण्ड प्लान)		18
21	1:50,000 का अनुपात का नक्शा		19(A) & 19(B)
22	परियोजना की स्वीकृति/गजट की प्रति।		20

संलग्नक –1

i. भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि एवं इसके भविष्य में और अधिक होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रेल मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा माल ढ़ोने की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने हेतु पूर्वी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर बनाने का निर्णय लिया है।
डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर्स की योजना एवं विकास, वित्तीय संस्थानों को गतिशील करने और निर्माण, रखरखाव और परिचालन का उत्तरदायित्व लेने के लिए डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0 की 2006 में स्थापना की है।
पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर 1839 किमी0 लम्बा मार्ग है जो प0 बंगाल में दानकुनी से उत्तर प्रदेश में खुर्जा से होते हुए पंजाब में लुधियाना तक है। पूर्वी कॉरीडोर का निर्माण विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से किया जायेगा। इसकी अनुमानित लागत रू0 30,848/– है।
पूर्वी कॉरीडोर छः राज्यों से गुजरेगा, जो इस प्रकार है पंजाब (88 किमी0), उ0प्र0 (1102 किमी0), हरियाणा (72 किमी0), बिहार (93 किमी0) पं0 बंगाल/झारखण्ड (538 किमी0).
पूर्वी कोरीडोर पर चलने वाली मालगाड़ियों की गति 100 किमी0/घंटा तक होगी।
उक्त परियोजना के जनपद बुलन्दशहर में 180.81 हे0 भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसमें से **0.7957 हे0** आरक्षित वन विभाग में आती है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, पर चलने वाली मालगाड़ियों की अधिकतम गति 100 किमी0/घन्टा होगी। इसका निर्माण अतिरिक्त क्षमता और कुशलता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और ग्राहकों को संचालन के सस्ते विकल्प उपलब्ध करायेगा। डीएफसीसी के साथ–साथ बहु आदर्श लोजिस्टिक पार्कों को स्थापित किया जायेगा। रेल पथ का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से उच्च अभिकल्प विशेषताओं के साथ किया जायेगा, जो भारी सामान को तीव्र गति से ले जाने में समर्थ होगी। फ्रेट कॉरीडोर का निर्माण प्रत्येक 2 किमी0 पर स्थित स्वचालित सिग्नल पद्धति पर किया जाएगा।

1. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर की कुल लम्बाई	:	1839 किमी0
2. प्रदेश जहां से गुजरता है	:	पंजाब, हरियाणा, उ0प्र0, बिहार, झारखण्ड, प0 बंगाल
3. उ0प्र0 के जिन जनपद से होकर गुजरता है।	:	मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, महामायानगर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर।
4. अनुमानित लागत	:	रू0 30,848 करोड़
5. अधिकतम गति	:	100 किमी/घन्टा
6. जनपद बुलन्दशहर में आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता	:	0.7957 हे0

तिथि :

सहायक परियोजना प्रबन्धक/सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 मेरठ।

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 मेरठ।

परिशिष्ट

(देखिए नियम–6)

फार्म–'क'

राज्य सरकारों तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–I

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना का विवरण

(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	: रेल माल भाड़ा यातायात की अतिरिक्त क्षमता के लिए, रेल मन्त्रालय ने पूर्वी और पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर बनाने का निर्णय लिया है। जिसके लिए भारत सरकणर ने डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर ऑफ इन्डिया लि0 की स्थापना की है। जनपद बुलन्दशहर पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (जो प0 बंगाल में दानकुनी से, उ0प्र0 में खुर्जा से होते हुए पंजाब में लुधियाना तक जाता है) के मार्ग में आता है जिसके लिए रेल के किनारे भूमि अधिग्रहण की जा रही है। जनपद बुलन्दशहर में किये जा रहे भूमि अधिग्रहण में 0.7957 हे0 वन विभाग की आरक्षित भूमि भी आ रही है। जिसका अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। भूमि का विवरण एवं परियोजना का औचित्य संलग्न है।
(ii)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	: (संलग्नक–16)
(iii)	परियोजना की कुल लागत	: अनुमानित लागत रू0 (30848 करोड़)

(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	:	जनहित में
(v)	लागत लाभ विश्लेषण	:	(संलग्नक–3)
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	:	निर्माण के समय तथा संचालन एवं अनुरक्षण के लिये बहुत से रोजगार पैदा होंगे।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	:	आलोचय परियोजना में कुल 0 भूमि की आवश्यकता है।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण (यदि कोई है):	:	कोई नहीं, (आलोच्य भूमि से किसी को नहीं हटाया जा रहा है।)
(i)	परिवारों की संख्या	:	– कोई नही।
(ii)	अनुसचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	:	– कोई नही।
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	:	– कोई नही।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हॉ/नहीं)	:	नही (आवश्यकता नही)
5.	प्रतिपूर्ति वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत ओर सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	:	संलग्न हैं (संलग्नक–9)
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण प्रत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	:	विवरण सूची संलग्न है।

तिथि :

स्थान:

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0,
(रेलवे मन्त्रालय, भारत सरकार)
तृतीय तल, श्री बालाजी कार्मिशल काम्पलैक्स,
प्लाट नं0–सी2, पॉकेट–बी, सेक्टर–1, वेद व्यासपुरी, बाईपास एन0एच0–58,
मेरठ, उ0प्र0–250002।

भाग--2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावित की राज्य क्रम संख्या ....

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर, दानकुनी (प0 बंगाल) से खुर्जा (उ0प्र0) से होकर लुधियाना (पंजाब) तक
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश (आलोच्य भूमि)
(ii)	जिला	बुलन्दशहर (आलोच्य भूमि)
(iii)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0में)	0.7957 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन क्षेत्र
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.3
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जायें) सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 / एफ0आर0एफ0--2 मीटर में परिगणना और एफ0आर0एल0--4 मीटर भी संलग्न किया जायें।	संलग्न है
(viii)	भू--क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी।	प्रश्नगत क्षेत्र भू--क्षरण के दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित परियोजना का कार्य आरक्षित गाटा से होकर जाएगा, अतः दूरी शून्य है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभ्यारण्य जैव--मण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व आदि का भाग है। (यदि हो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डन की टिप्पणियॉं अनुबन्धित की जायें)।	प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी कॉरीडोर आदि का हिस्सा नहीं है।
(xi)	वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की	नहीं

	दुर्लभ/सकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियॉं पाई जाती है। (यदि हॉं, तो सम्बन्धित ब्यौरा दें)	
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक स्थल/रक्षक प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। (यदि हॉं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हों, दें)।	नहीं
8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जॉंचें गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?	इस परियोजना हेतु प्रस्तावित धन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हॉं/नहीं) यदि हॉं तो कार्य अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरों दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहें हैं।	नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसति वन क्षेत्र, आसपास के वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र, आसपास सीमाओं की दर्शाता मैप।	सलग्न है।
(iii)	प्रतिपूरक रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के वितरण, कार्यनवयन एजेन्सी समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	संलग्न है।

11	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता कॉलम–7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइलः– —	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	435200 है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	7726.57 है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर कुल प्रतिपूरक वनीकरण	23 मामले 239.5308 है0 तथा 93197 पौध
(iv)	1980 में जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	113.5308 है0 तथा 30197 पौध
क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	17.9328 है0 तथा 30197 पौध
ख)	वनेत्तर भूमि पर	95.598 हैक्टेयर तथा 63000 पौध
(v)	तक वनीकरण में हुई प्रगति।	46.374 है0 तथा 27633 पौध
क)	वन भूमि पर	5.826 हैक्टेयर तथा 27633 पौध
ख)	वनेत्तर भूमि पर।	40.548 है0
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव हेतु प्रस्तावक की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य भूमि / वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। परियोजना के लिए वृक्षारोपण एवं पौधालय को होने वाली क्षति की धनराशि प्रस्तावकद्वारा देय होगी। उक्तानुसार प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

स्थान :
दिनांक:

प्रभागीय वन अधिकारी
खुर्जा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर

भाग III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल, जहां की भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	:	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	:	सहमत हैं।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशे।	:	प्रस्ताव जनहित में है, अतः स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

तिथिः **नाम**

स्थानः **सरकारी मोहर**

भाग (iv)

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने

या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की

विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशे :

हस्ताक्षर

तिथि: नाम

स्थान: सरकारी मोहर

भाग (V)

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18. **राज्य सरकार की सिफारिश**

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए) :

तिथिः **हस्ताक्षर**

स्थानः **नाम और पदनाम**

संलग्नक –2

<u>परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि रेलमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए निर्णय के अनुसार पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना जो 1839 किमी0 लम्बी है, को रेल मंत्रालय और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से बनाया जा रहा है।

तिथि :

सहायक परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

स्थान :

संलग्नक –3

<u>लाभ–लागत अनुपात :</u>

1. **परियोजना का नाम** : ईस्टर्न डैडीकेटिड फ्रेट कोरीडोर (पंजाब में लुधियाना से प0 बंगाल में दानकुनी तक) का निर्माण।

2- **लाभ–लागत अनुपात** : यह परियोजना देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है।

सहायक परियोजना प्रबन्धक/सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

संलग्नक –4 (A)

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के लिए जनपद बुलन्दशहर के गाँव इस्माइलपुर बुढेना में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का निरीक्षण प्रभागीय निदेशक, एवं सहायक परियोजना प्रबन्धक, डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, मेरठ द्वारा किया गया। सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि 0.7957 हे0 वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है तथा वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रभावित वन क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है। प्रभावित वन क्षेत्र में कोई संरक्षित, तत्वीय/पारम्परिक स्थल, रक्षा प्रतिश्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थित नहीं है।

प्रस्ताव द्वारा वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा सं0	आरक्षित वन भूमि का विवरण हे0 में
बुलन्दशहर	खुर्जा	इस्माइलपुर बुढ़ेना	427	0.3744
			439	0.1420
			442	0.2793
		Total		**0.7957 हे0**

सहायक परियोजना प्रबन्धक/सिविल
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
मेरठ।
Chief Project Manager

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
मेरठ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बुलन्दशहर।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
खुर्जा

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण के लिए लैण्ड शेड्यूल/वनभूमि का विवरण

सलग्नक–4B

क0 सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	आरक्षित वन भूमि (है0)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
	बुलन्दशहर	खुर्जा	इस्माइलपुर बुढ़ेना	427	0.3744	
				439	0.1420	
				442	0.2793	
				कुल क्षे0	0.7957	

सहायक परियोजना प्रबन्धक/सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक/विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी विभाग,
बुलन्दशहर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
खुर्जा

संलग्नक: 4C

डीएफसीसीआईएल के प्रयोग में लाये जाने वाली वन भूमि का मूल्यांकन

जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा सं0	आरक्षित वन भूमि का विवरण हे0 में	वर्तमान सर्किल दर प्रति हे0 (रू0 में) डीएम पत्र संख्या दिनांक 30.07.2013	भूमि की कीमत
बुलन्दशहर	खुर्जा	इस्माइलपुर बुदेना	427	0.3744	36,00,000.00	1347840
			439	0.1420	36,00,000.00	511200
			442	0.2793	36,00,000.00	1005480
			Total	0.7957		2864520

सहायक परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ

सहायक परियोजना प्रबन्धक / [illegible]
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ

DFCCIL, [illegible]
Meerut

प्रारूप–4(क)

...ा राजस्व ...का नाम	श्रेणी नगरीय अर्द्धनगरीय या ग्रामीण	अकृषक भूमि की न्यूनतम दर प्रति वर्गमी०			(राजस्व ग्रामों में कृषक भूमि की दरें प्रति हैक्टेयर) (लाख रु० में)				
				वाणिज्यक सम्पत्ति की किराए की दर	राष्ट्रीय राज मार्ग की दर	राज्य/जिला मार्ग की दर	लिंकमार्ग	सामान्य सड़क से दूर	आबादी से सटी हुई भूमि की दरें
		अकृषक भूमि की दरें 20 फिट अर्थात 6.097 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर (प्रस्तावित/ स्वीकृत)	औद्योगिक भूमि की दरें 20 फिट अर्थात 6.097 मी० से अधिक चौड़े रास्ते पर (प्रस्तावित/ स्वीकृत)	प्रस्तावित/स्वीकृत	प्रस्तावित/स्वीकृत	प्रस्तावित/स्वीकृत	प्रस्तावित/स्वीकृत	प्रस्तावित/स्वीकृत	प्रस्तावित/स्वीकृत
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...पुर	अर्द्धनगरीय	5300	2700	135	93	92	80	60	तदैव
...र्फ मौजपुर	अर्द्धनगरीय	10500	5300	144	138	125	100	84	तदैव
...पुर उर्फ मधुपुरा	अर्द्धनगरीय	4200	2200	135	115	100	93	60	तदैव
...लपुर बुढेना	अर्द्धनगरीय	3200	1600	84	85	70	50	36	तदैव
...ताजपुर उर्फ ...	अर्द्धनगरीय	5300	2700	135	100	67	76	60	तदैव
...पुर	ग्रामीण	5300	2700	135	100	92	76	60	तदैव
...पुर	अर्द्धनगरीय	5300	2700	135	120	105	80	62	तदैव
... राज्य ...गिक विकास ... योजना	नगरीय	7400	3700	135	–	–	–	–	–
...पुर	अर्द्धनगरीय	9500	4800	145	145	132	105	80	तदैव
...ाला	अर्द्धनगरीय	3200	1600	85	84	72	50	36	तदैव
...पुर	ग्रामीण	4800	2400	135	118	100	93	68	तदैव
...नपुर	ग्रामीण	4800	2400	135	118	100	93	68	तदैव
...ा	अर्द्धनगरीय	3200	1600	85	84	72	50	36	तदैव
...ा महावीर	नगरीय	18000	9000	240	–	–	–	–	–
...ौणड़ा	नगरीय	10500	5500	180	–	–	–	–	–
...बिसयवाड़ा	नगरीय	10500	5500	180	–	–	–	–	–
...ट	नगरीय	10500	5500	180	–	–	–	–	–
...रावान्	नगरीय	10500	5500	180	–	–	–	–	–
...था मित्तरसेन	नगरीय	10500	5500	180	–	–	–	–	–

(आर... सिंह)
अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) बुलन्दशहर

(निधि श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, बुलन्दशहर

वन ब्लाक के वृक्षों का मूल्यांकन

गाटा सं0	प्रजाति	गोलाई	व्यासवर्ग	संख्या	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
427	ज्यूलीफ्लोरा	75	20–30	1	600	600
	देशी बबूल	75	20–30	1	600	600
	ज्यूलीफ्लोरा	न्यू प्लान्टेशन	0-10	171	36	6156
––	नीम		0-10	1	48	48
–"–	नीम	55	10–20	1	120	120
439	शीशम	70	20–30	1	2065	2065
	–"–	35	10–20	1	198	198
	–"–	35	10–20	1	198	198
	–"–	25	0-10	1	60	60
–"	–"–	45	10–20	1	198	198
–"–	–"–	25	0-10	1	60	60
	–"–	40	10–20	1	198	198
–"–	प्रोसोपिस	न्यू प्लान्टेशन	0-10	7	36	252
	बबूल	न्यू प्लान्टेशन	0-10	2	36	72
–"–	सिरस	–"–	0-10	2	36	72
442	नीम	75	20–30	1	900	900
–"–	–"–	30	0-10	1	48	48
–"–	–"–	40	10–20	1	120	120
–"–	–"–	80	20–30	1	900	900
–"	–"–	100	30–40	1	2160	2160
–"–	–"–	125	30–40	1	2160	2160
––	–"–	45	20–30	1	900	900
	सिरस	100	30–40	1	1800	1800
-	–"–	90	20–30	1	552	552
–"–	शीशम	60	10–20	1	198	198
–"–	–"–	55	10–20	1	198	198
–"–	–"–	110	30–40	1	6135	6135
–"–	पीपल	430	80 से ऊपर	1	12600	12600
–"–	शहतूत	150	40–50	1	780	780
–"–	ज्यूलीफलोरा	125	30–40	1	1320	1320
–"–	–"–	110	30–40	1	1320	1320
–"–	कंजी	न्यू प्लान्टेशन	0-10	33	36	1188
–"–	नीम	–"–	0-10	8	48	384
–"–	शीशम	–"–	0-10	40	60	2400
–"–	ज्यूलीफलोरा	–"–	0-10	88	36	3168
–"–	सिरस	–"–	0-10	5	36	180
योग:–				383		50328

खुर्जा

वन ब्लाक वार वृक्षों की सूची

संलग्नक 5(B

क्र0	जनपद	वन ब्लाक का नाम	गाटा सं0	गाटा सं0 में उपलब्ध वृक्षों का विवरण प्रजाति	वृक्ष की परिधि/गर्थ (सेमी0)	वृक्षों की सं0	पेड़ो का व्यास (सेमी0)
1			427	जूली फलोरा	75.0	1	24
				देशी बबूल	75.0	1	24
				जूली फलोरा (2010)	न्यू प्लाटेशन	171	न्यू प्लाटेशन
				नीम (2010)	न्यू प्लाटेशन	1	न्यू प्लाटेशन
2			439	नीम	55.0	1	18
				शीशम	70.0	1	22
					35.0	1	11
					35.0	1	11
					25.0	1	8
					45.0	1	14
					25.0	1	8
					40.0	1	13
				जूली फलोरा (2010)	न्यू प्लाटेशन	7	न्यू प्लाटेशन
				बबूल (2010)	न्यू प्लाटेशन	2	न्यू प्लाटेशन
				सिरस (2010)	न्यू प्लाटेशन	2	न्यू प्लाटेशन
3			442	नीम	75.0	1	24
					30.0	1	10
					40.0	1	13
	बुलन्दशहर	इस्माइलपुर बुढेना			80.0	1	25
					100.0	1	32
					125.0	1	40
					45.0	1	14
				सिरस	100.0	1	32
					90.0	1	29
				शीशम	60.0	1	19
					55.0	1	18
					110.0	1	35
				पीपल	430.0	1	137
				शहतूत	150.0	1	48
				जूली फलोरा	125.0	1	40
					110.0	1	35
				कंजी (2019)	न्यू प्लाटेशन	33	न्यू प्लाटेसन
				नीम (2019)	न्यू प्लाटेशन	8	न्यू प्लाटेशन
				शीशम (2019)	न्यू प्लाटेशन	40	न्यू प्लाटेशन
				जूली फलोरा (2019)	न्यू प्लाटेशन	88	न्यू प्लाटेशन
				सिरस (2019)	न्यू प्लाटेशन	5	न्यू प्लाटेशन
	Total					383	

वन रक्षक

वन दरोगा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
खुर्जा

AM/CM/DFCCIL/Meerut

Execitve/Elect

APM/Elect/DFCCIL/Meerut

Executive/Civil

मानक शर्तें

(वन अनुभाग–3, उ0प्र0 की पत्र सं0 7314/14.03.1998 0/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि (यदि विशेष भूमि बचती है) हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग या संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि माँगी गयी भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐसा किये जाने पर संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग उसने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वनभूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग या संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वनाभूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को पास हो जायेगा। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
9. वन विभाग का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
10. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आव यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
11. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक वृक्ष के स्थान पर दस पेड़ के रोपड तथा तीन वृक्ष

तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी0 व 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों को पातन निषिद्ध है इस प्रकार बाज (OAK) के पेड़ों का पतन वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पतन निरीक्षण स्तर पर ही हो सकेगा।

12. वन भूमि के उपर से विद्युत लाईन ले जाने से यथा सम्भव पेड़ों का कटान किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

13. उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

14. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

Chief Project Manager
मुख्य परियोजना ...
DFCCIL/डीएफ...
Meerut

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

स्थान:

<u>शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) जमा करने के सम्बन्धी प्रमाण पत्र :–</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत, पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के लिए 0.7957 हे0 आरक्षित भूमि का उपयोग किया जाएगा। उक्त 0.7957 हे0 आरक्षित वन भूमि का मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) का भुगतान कार्य कराये जाने से पूर्व वन विभाग को किया जाएगा तथा यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है, तो शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की अतिरिक्त देय धनराशि द्वारा जमा करा दी जायेगी।

तिथि :

सहायक परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

Chief [illegible]
DFCCIL [illegible]
DFCCIL [illegible]

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

स्थान:

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बुलन्दशहर में पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम इस्माइलपुर बुढेना में आवेदित 0.7957 हे0 आरक्षित वन भूमि पर अव्यवस्थित / खड़े वृक्षों की क्षति के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जो भी व्यय / धनराशि निर्धारित किया जायेगा नियमानुसार भुगतान डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर द्वारा वन विभाग को किया जाएगा।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।
Chief Proj
मुख्य
DFCCIL

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

संलग्नक –10

लीज अवधि प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बुलन्दशहर में, पूर्वी डी0एफ0सी0 परियोजना हेतु **0.7957** है0 आरक्षित वन भूमि 90 वर्षो हेतु लीज पर अपेक्षित है।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

Chief [illegible]
मुख्य परियोजना [illegible]
DFCCIL/डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
[illegible]

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बुलन्दशहर में पूर्वी डी0एफ0सी0 परियोजना हेतु 0.7957 हे0 भूमि पर वृक्षों को क्षति पहुँचाते हुए कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

Chief Project Manager
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
DFCCIL/डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
Meerut/मेरठ

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

डेरीकैटेडफ्रन्ट कैरिडोर के अन्तर्गत 0 से10 वर्षो तक का आकलन

औरंगा वन ब्लाक 1.23 है0 में 766 पौधों का रोपण

अग्रिम मृदा कार्य

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5
1	[illegible] का सीमांकन	1.23 है0	69 / प्रति है0	83.64
2	[illegible] शुल्क	1.23 है0	10000 / प्रति है0	12300.00
3	[illegible]	766	0.15 प्रति गड्ढा	114.90
4	गड्ढा खुदान (45X45X45X80X15) सेमी0	766	12.50 प्रति गड्ढा	9575.00
5	अन्य व्यय		ल0स0	526.46
	योग –			**23000.00**

वृक्षारोपण

क्र0	कार्य का विवरण	मात्रा/संख्या	दर	धनराशि
1	2	4	5	6
1	[illegible] क्रय व ढुलान	766 पौध	3.55 प्रति	2719.30
	[illegible] (मय ढुलान)	1.23 है0	16000 / प्रति	19680.00
2	[illegible] (मय ढुलान)	1.23 है0	2000 / – प्रति है0	2460.00
3				
4	[illegible] मिट्टी व बालू मिलाकर गड्ढों का भरान	766 पौध	1.14 प्रति	873.24
5	[illegible] मिट्टी का स्थानीय ढुलान (मय लदाई व उतराई)	ल0स0		2500.00
	[illegible] मूल्य (5 प्रतिशत अतिरिक्त)	805 पौध	70.00	56350.00
6	[illegible] ढुलान 5 प्रतिशत अतिरिक्त (21 से 30 कि0मी0)	805 पौध	10.30 प्रति	8291.50
7	[illegible] स्थानीय ढुलान	766 पौध	1.15 प्रति	880.90
8	[illegible] सिंचाई कार्य	766 पौध	7.10 प्रति	5438.60
9	[illegible] गुड़ाई 03 बार	766 पौध	0.05 प्रति	1953.30
10	सिंचाई [illegible] बार	766 पौध	0.74 प्रति	3401.04
11	[illegible] 2 बार	766 पौध	0.85 प्रति	1302.20
12	सिंचाई नाली बनाना	1.23 है0	2840.00 प्रति	3493.20
13	[illegible] खाद / उर्वरक व कीटनाशक दवा का मूल्य	1.23 है0	525.00 प्रति	645.75
14	[illegible]	234 दिन	142.00 प्रति	33228.00
15	[illegible] का काम			2500.00
16	रोपण [illegible] सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 है0	2500.00	6150.00
17	[illegible] बोर्ड (एक अदद)	1	4000.00	4000.00
	अन्य आकस्मिक व्यय		ल0स0	1212.97
	योग –			157000.00
	सम्भावित वृद्धि 10 प्रतिशत			15700.00
	योग			172700.00

अनुरक्षण प्रथम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	2	4	5	6
1	[illegible] हेतु पुराने गड्ढों की मिट्टी ढीली करना	77 गड्ढे	2.84 प्रति	218.68
2	पौधों का क्रय मूल्य (5 प्रतिशत अतिरिक्त)	81 पौध	70.00	5670.00
3	पौधों की ढुलाई 5 प्रतिशत अतिरिक्त (21 से 30 कि0मी0)	81 पौध	15.30 प्रति	934.30
4	[illegible] पौध ढुलाई	77 पौध	1.15 प्रति	88.55
5	पौधों का रोपण मय थावला बनाना व सिंचाई कार्य	77 पौध	7.10 प्रति	546.70
6	थावला की निराई गुड़ाई कार्य 03 बार	766 X3	0.85 प्रति	1953.30
7	[illegible] दो बार	766 X2	0.85 प्रति	1302.20
8	सिंचाई [illegible] बार	766 X8	0.74 प्रति	4534.72
9	रासायनिक खाद / उर्वरक व कीट नाशक	766 पौध	0.50	383.00
10	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
11	सिंचाई हेतु पाईप का क्रय		लं0सं0	2500.00
12	[illegible] कार्य	766 पौध	2.84 प्रति	2175.44
13	सुरक्षा कार्य	312 दिन	142.00 प्रति	44304.00
14	अन्य आकस्मिक व्यय		लं0सं0	339.31
	योग –			71000.00
	सम्भावित वृद्धि 20 प्रतिशत			14200.00
	योग–			85200.00

अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	2	4	5	6
1	थावला की निराई गुड़ाई कार्य 03 बार	766 X3	0.85 प्रति	1953.30
2	[illegible] दो बार	766 X2	0.85 प्रति	1302.20
3	सिंचाई कार्य 08 बार	766 X8	0.74 प्रति	4534.72
4	रासायनिक खाद / उर्वरक व कीट नाशक	766 पौध	0.50	383.00
5	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
6	सिंचाई हेतु पाईप का क्रय		लं0सं0	2500.00
7	[illegible] कार्य	766 पौध	4.50 प्रति	3447.00
8	सुरक्षा कार्य	104 दिन	142.00 प्रति	15184.00
9	अन्य आकस्मिक व्यय		लं0सं0	545.78
	योग –			36000.00
	सम्भावित वृद्धि 30 प्रतिशत			10800.00
	योग–			46800.00

अनुरक्षण तृतीय वर्ष

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	2	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 03 बार	766 X3	0.85 प्रति	1953.30
2	थावला मय कस्ता दो बार	766 X2	0.85 प्रति	1302.20
3	सिंचाई कार्य 08 बार	766 X8	0.74 प्रति	4534.72
4	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
5	सिंचाई हेतु [illegible]		लमसम	2500.00
6	प्रतिरोपण कार्य	766 पौध	4.50 प्रति	3447.00
7	अन्य आकस्मिक व्यय		लमसम	1112.78
	योग –			21000.00
	सम्भावित वृद्धि 40 प्रतिशत			8400.00
	योग–			29400.00

अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	2	4	5	6
1	पौधों की निराई गुड़ाई कार्य 03 बार	766 X3	0.85 प्रति	1953.30
2	थावला मय कस्ता दो बार	766 X2	0.85 प्रति	1302.20
3	सिंचाई कार्य 08 बार	766 X8	0.74 प्रति	4534.72
4	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
5	सिंचाई हेतु [illegible]		लमसम	2500.00
6	प्रतिरोपण कार्य	766 पौध	4.50 प्रति	3447.00
7	अन्य आकस्मिक व्यय		लमसम	1112.78
	योग –			21000.00
	सम्भावित वृद्धि 50 प्रतिशत			10500.00
	योग–			31500.00

अनुरक्षण पंचम् वर्ष

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	2	4	5	6
1	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
2	प्रतिरोपण कार्य	766 पौध	4.50 प्रति	3447.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय		लमसम	403.00
	योग –			10000.00
	सम्भावित वृद्धि 60 प्रतिशत			6000.00
	योग–			16000.00

अनुरक्षण षष्ठम् वर्ष

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	2	4	5	6
1	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
2	प्रतिरोपण कार्य	766 पौध	4.50 प्रति	3447.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय		लमसम	403.00
	योग –			10000.00
	सम्भावित वृद्धि 70 प्रतिशत			7000.00
	योग–			17000.00

अनुरक्षण सप्तम् वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
	2	4	5	6
1	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
2	[illegible] कार्य	766 पौध	4.50 प्रति	3447.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय		ल0स0	403.00
	योग –			10000.00
	सम्भावित वृद्धि 80 प्रतिशत			8000.00
	योग–			18000.00

अनुरक्षण अष्टम् वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
	2	4	5	6
1	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
2	[illegible] कार्य	766 पौध	4.50 प्रति	3447.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय		ल0स0	403.00
	योग			10000.00
	सम्भावित वृद्धि 90 प्रतिशत			9000.00
	योग–			19000.00

अनुरक्षण नवम् वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
1	2	4	5	6
1	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
2	[illegible] कार्य	766 पौध	4.50 प्रति	3447.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय		ल0स0	403.00
	योग –			10000.00
	सम्भावित वृद्धि 100 प्रतिशत			10000.00
	योग–			20000.00

अनुरक्षण दशम् वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा / संख्या	दर	धनराशि
	2	4	5	
1	रोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा हेतु झाड़ी कटाई कार्य 02 बार	1.23 हे0	2500.00	6150.00
2	[illegible] कार्य	766 पौध	4.50 प्रति	3447.00
3	अन्य आकस्मिक व्यय		ल0स0	403.00
	योग –			10000.00
	सम्भावित वृद्धि 110 प्रतिशत			11000.00
	योग–			21000.00

सारांश

क्र0सं0	व्यय वर्ष	धनराशि
1	2	6
1	अग्रिम मृदा कार्य	23000.00
2	वृक्षारोपण कार्य	172700.00
3	अनुरक्षण प्रथम वर्ष	85200.00
4	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष	46800.00
5	अनुरक्षण तृतीय वर्ष	29400.00
6	अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष	31500.00
7	अनुरक्षण पंचम् वर्ष	16000.00
8	अनुरक्षण षष्ठम् वर्ष	17000.00
9	अनुरक्षण सप्तम् वर्ष	18000.00
10	अनुरक्षण अष्टम् वर्ष	19000.00
11	अनुरक्षण नवम् वर्ष	20000.00
12	अनुरक्षण दशम् वर्ष	21000.00
	योग—	499600.00

औरो वन ब्लाक

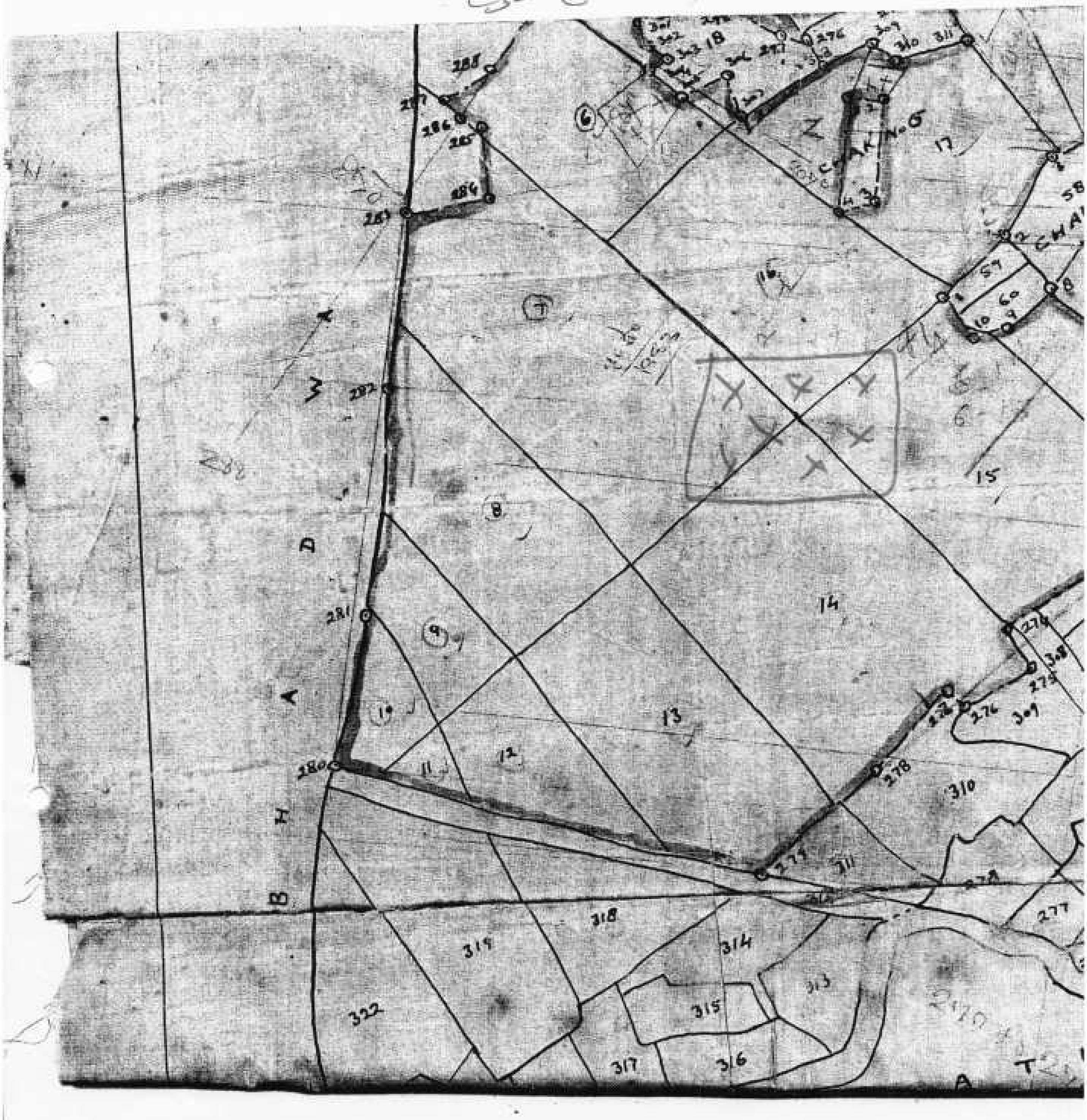

प्रस्तावित स्थल -

वन अधिकारी

राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यरण्य आदि के भाग/हिस्सा के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र :–

प्रमाणित किया जाता है जनपद बुलन्दशहर में, पूर्वी डी0एफ0सी0सी0 परियोजना के लिए ली जा रही आरक्षित वन भूमि में राष्ट्रीय उद्यान, बाघ, रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग/हिस्सा नहीं है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
खुर्जा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर

<u>क्षतिपूर्ती वनीकरण हेतु भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र :–</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बुलन्दशहर, पूर्वी डी0एफ0सी0 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली 0.7957 हे0 वन भूमि के निर्माण हेतु प्रयुक्त होने के कारण होने वाले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

DFCCIL/

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

संलग्नक–16

गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराने हेतु डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 वचनबद्ध है। इस सम्बन्ध में गैर वन भूमि ग्राम–सुन्दरा उर्फ पूठा तहसील व जिला–मेरठ गाटा संख्या 439 क्षे0 0.4320 हे0 व गाटा संख्या 440 क्षे0 0.4440 मेरठ चयनित की गई है, जिसका अधिकग्रहण किया जा चुका है।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

सहायक परियोजना प्रबन्धक / विद्युत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
मेरठ।

उत्तर प्रदेश गजट 21 [illegible] 1971 पृष्ठ सं० 259 (38)

दिनाँक : 23-7-1970

सं० 5211/14-आ-20(83) -70 अधिसूचना 1459/14 दि० 24-2-53

द्वारा संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को [illegible] एक्ट 1927 (एक्ट 16

1927) के अधीन रक्षित बनवाने का प्रस्ताव किया गया था।

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त एक्ट

द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है।

और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये है।

अतएव अब उक्त एक्ट की धारा 20 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके

राज्यपाल दिनांक 21 जनवरी 1971 ई० से उक्त भूमि को रक्षित वन घोषित करते

अनुसूची 'ख'

तहसील	परगना	गाँव	ग्राम नं०	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल एकड़ में	विवरण
2	3	4	5	6	7	8
				बी०बि०बि०		
जुआँ	जुआँ	अमर्दहा-पुरसुदना	42	0-7-0		159 [illegible] [illegible] के [illegible] में सम्मिलित नहीं है।
			43	0-5-0		
			44	0-2-0		
			45	0-12-0		ब्लॉक नं० [illegible] प्लाट नं० 242-245
			46	0-4-0		244-246
			51	21-3-0		
			52	14-2-0		ब्लॉक नं० 3 [illegible] प्लाट नं० 307 व 308
[redacted]						
			241	9-4-0		ब्लॉक नं० [illegible] प्लाट नं० 240 [illegible]
			245	16-4-0		
			270	11-13-0		
			271	12-13-0		
			272	22-3-0		
			273	15-14-0		
			274	9-14-0		
			275	7-8-0		

(42)

2	3		5	6	7	8
...र डखों	डखों	इस्माईल पुत्र कुरैना		बी0बि0बि0		
			277	10-15-0		
			276	16- 7-0		
			285/2	15- 5-0		
			305	4-17-0 ✓		
			306	0-16-0		
			312	7- 0-0		
			313	9-18-0		
			314	7- 9-0		
			315	16-4-0 ✓		
			26	254-8-0		
				या		
				159-00 एकड़		

आज्ञा से

...हेरा/

सत्य प्रतिलिपि

30/10

सचिव

Assistant Conse... of Forest
Northern Doab Forest Division,
Meerut.

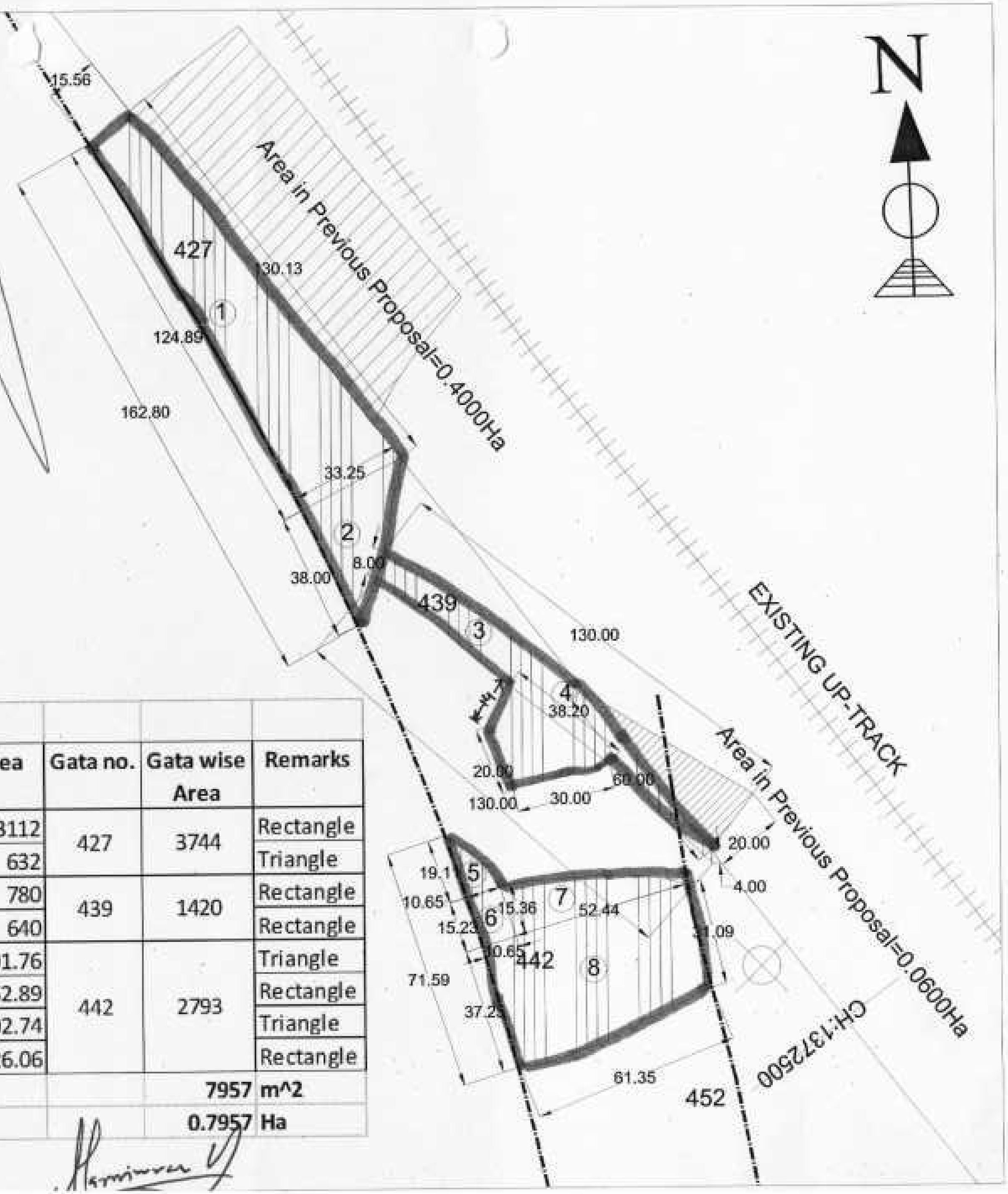

Area:-								
Block no.	Side 1	Side 2	Side 3	Side 4	Area	Gata no.	Gata wise Area	Remarks
1	15.56	130.13	33.25	124.89	3112	427	3744	Rectangle
2	33.25	38.00			632			Triangle
3	8.00	130.00	4.00	130.00	780	439	1420	Rectangle
4	14.00	38.20	30.00	20.00	640			Rectangle
5	19.11	10.65			101.76	442	2793	Triangle
6	10.65	15.23	10.65	15.36	162.89			Rectangle
7	15.36	52.44			402.74			Triangle
8	63.09	31.09	61.35	37.25	2126.06			Rectangle
			Total=				7957	m^2
			Total=				0.7957	Ha

Chief Project Manager
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
DFCCIL/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
Meerut/मेरठ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
खुर्जा

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2008

S.O. 358(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as special railway project, as mentioned in column (1) of the table below in the State mentioned in column (2) of the said table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Special Railway Project

Name of Project	State/UT
(1)	(2)
Marhowra-Setting up of diesel locomotive manufacturing unit	Bihar

[F. No. 2008/LML/13/5]

MATHEW JOHN, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

का.आ. 359(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (1) में यथाउल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है ।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
(1)	(2)
मधेपुरा-ग्रीन फील्ड विद्युत लोको निर्माण कारखाने की स्थापना	बिहार

[फा. सं. 2008/एलएमएल/13/5]

मैथ्यू जॉन, सचिव,

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2008

S.O. 359(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as special railway project, as mentioned in column (1) of the table below in the State mentioned in column (2) of the said table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Special Railway Project

Name of Project	State/UT
(1)	(2)
Madhepura–Setting up of Greenfield Electric Loco Manufacturing Factory	Bihar

[F. No. 2008/L

MATHEW JOH

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

का.आ. 360(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनि की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नी सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी (2) में यथाउल्लिखित परियोजना को निम्नलिखित विशेष रेल के रूप में अधिसूचित करती है ।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य
(1)	(2)	(3)
1.	पूर्वी डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडार	बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा, पंजाब
2.	पश्चिम डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडार	महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश

[फा. सं. 2008/एलएमएल/1

मैथ्यू जॉन, स

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2008

S.O. 360(E).—In exercise of the powers confe by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, Central Government hereby notifies the following proje as special railway project, as mentioned in column (2) the table below in the State mentioned in column (3) of said table, with effect from the date of publication of t notification in the Official Gazette.

TABLE

Special Railway Project

Sl. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1.	Eastern Dedicated Freight Corridor	Bihar, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab
2	Western Dedicated Freight Corridor	Maharashtra, Gujarat Rajasthan, Haryana Delhi, Uttar Prad[illegible]

[F. No. 2008[illegible]

MATHEW JO[illegible]

जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के निर्माण हेतु जनपद बुलन्दशहर में 0.7957 हे0 आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता को देखते हुए वन भूमि की माँग न्यूनतम है।

अतः उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि के उपयोग किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

क्र0	विवरण	आरक्षित वन भूमि का विवरण
1	इस्माईलपुर बुढ़ेना	0.7957 हे0
	कुल क्षे0	0.7957 हे0

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., मेरठ
Chief Project Manager
मुख्य परियोजना प्रबन्धक
DFCCIL/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०
Meerut/मेरठ

[illegible]

जिलाधिकारी
बुलन्दशहर
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर

Annexure-I

FORM-I
(For linear Projects)
Government of ....
Office of the District Collector...............

No. .... Dated.....................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.7957** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **DFCCIL Govt. of India (Ministry of Railways)** (name of user agency) for **DFCCIL** (Purpose for diversion of forest land) in **Bulandshahr** District falls within jurisdiction of **Ismilepur Budhena** village(s) in **Khurja** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire .... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... to ...... Annexure	**Not applicable (As per Director Ministry of Environment, Forest and climate change letter No. F.No. 11-09/98-FC(pt.) dated 28.10.2014)**
(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.	

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)